भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2362
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

लंबित मामले

+2362. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :

श्री कार्ति पी. चिदम्बरम :

श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी :

श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसंबर, 2025 तक देश भर में सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की वर्तमान संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों में यदि कोई वृद्धि हुई है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) महिलाओं, बच्चों और अन्य संवेदनशील मामलों से निपटने के लिए स्थापित त्वरित विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की संख्या कितनी है और उनके वर्तमान निपटान की दर क्या है ;

(ग) सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायपालिका में न्यायाधीशों के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की राज्य-वार संख्या कितनी है:

(घ) क्या सरकार का लंबित मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है ;

(ङ) लंबित मामलों को कम करने, रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने, कानूनी सहायता को मजबूत करने और उत्तर प्रदेश में ई-कोर्ट सहित अदालती बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 2024-25 के दौरान क्या बजटीय, विधायी और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं या प्रस्तावित हैं ;

(च) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ सहित) और उत्तर प्रदेश के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की जिला-वार संख्या कितनी है ; और

(छ) न्यायपालिका के सभी स्तरों पर न्यायिक देरी को कम करने और केस प्रबंधन में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित व्यापक कदम क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तारीख 31 दिसंबर, 2025 तक अंतिम तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ, उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की वर्तमान संख्या **उपाबंध-1** और **2** पर है ।

(ख) : तारीख 31.12.2025 तक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के अधीन आने वाले अपराधों से जुड़े मामलों का समयबद्ध विचारण और निपटारे के लिए 774 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससीएस) बनाए गए हैं, जिनमें 398 अनन्य रूप से ई-पोक्सो न्यायालय शामिल हैं। इन न्यायालयों में अभी निपटारे की दर (जनवरी 2025 से दिसंबर 2025) 46.20% है।

(ग) : न्याय विकास पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका में न्यायाधीशों की स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की राज्यवार संख्या **उपाबंध-3** और **4** पर है ।

(घ) : उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर)। उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019, तारीख 09.08.2019 से प्रवृत्त हुआ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 2014 में 906 से बढ़ाकर तारीख 06.02.2026 को 1122 कर दी गई है।

(ङ) : सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालय के लिए बेहतर अवसंरचना शामिल है, जिसमें कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायापालिका की संख्या बढ़ाना, अधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामले के शीघ्रता से निपटारे के लिए न्यायालय की प्रक्रिया को फिर से बनाना और मानव संशाधन के विकास पर जोर देना सम्मिलित है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन और 6 अक्तूबर 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) के उच्चतम न्यायालय के निर्णय और 28 अक्टूबर 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) की सलाहकारी राय के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की है, जबकि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की है, जो उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से करते है। इसके अतिरिक्त, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों तथा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 39क के अनुसार और रोकथाम तथा रणनीतिक विधिक सहायता के एक भाग के रूप में, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने देश में कई विधिक सेवा क्रियाकलाप आरंभ किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधिक सहायता गरीबों तक पहुँचे। विधिक सेवा आधारित दांडिक न्यायालय को सशक्त करने के लिए, न्याय विभाग ने केंद्रीय सेक्टर स्कीम के तौर पर विधिक सहायता प्रतिरक्षा काउंसेल प्रणाली (एलएडीसीएस) स्कीम आरंभ की है, जिसमें जिला स्तर पर सहायक कर्मचारीवृंद के साथ विधिक सहायता प्रतिरक्षा काउंसेल (एलएडीसीएस) की पूर्णकालिक नियुक्ति शामिल है। दिसंबर 2025 तक, देश भर के 680 ज़िलों में विधिक सहायता सुरक्षा काउंसेल (एलएडीसी) कार्यालय काम कर रहे हैं। एलएडीसीएस स्कीम को 3 वित्तीय वर्ष (वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26) के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 998.43 करोड़ रु. है और जनवरी 2026 तक, एलएडीसीएस स्कीम के लिए नालसा को 643.755 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं। पिछले तीन वर्षों में एलएडीसीएस द्वारा सौंपे गए और निपटाए गए दांडिक मामले का विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	**सौंपे गए आपराधिक मामले**	**निपटाए गए आपराधिक मामले**	**निपटान दर**
2023-24	3,36,830	2,12,505	**63%**
2024-25	5,32,413	3,72,750	**70%**
2025-26 (दिसंबर 2025)	3,93,614	2,86,326	**73%**
कुल	**12,62,857**	**8,71,581**	**69%**

राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधन बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार वर्ष 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायापालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए एक

केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) लागू कर रही है, जिसमें केंद्र और राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के बीच तय निधि-बटवारा पैटर्न में वित्तीय सहायता दी जाती है। स्कीम आरंभ होने के पश्चात् से उत्तर प्रदेश राज्य को कुल 1,756.41 करोड़ रुपये (तारीख 31.01.2026 तक) की केंद्रीय सहायता दी गई है। वित्तयी वर्ष 2024-25 के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य को 174.12 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई है। तारीख 31.01.2026 तक, उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायिक अधिकारियों के लिए 2,930 न्यायालय हॉल और 2,524 आवासीय इकाइयां हैं।

ई-न्यायालय परियोजना (2023-2027) के चरण-3 को तारीख 13.09.2023 को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें 7,210 करोड़ रुपये परिव्यय किए गए थे, ताकि न्याय परिदान करना और भी मजबूत, आसान और सुलभ हो सके। अब तक, उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में 226.44 करोड़ पृष्ठ डिजिटाइज किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से लगभग 69,22,878 मामलों की सुनवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में 113 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) हैं। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए, उत्तर प्रदेश में ई-न्यायालय परियोजना को लागू करने के लिए कुल 79.26 करोड़ रुपये की निधि जारी की गयी है।
(च) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश के ज़िला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है :

न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्त पदों की संख्या
इलाहाबाद उच्च न्यायालय	160	109	51
जिला और अधीनस्थ न्यायालय	3700	2631	1069
कुल	**3,860**	**2,741**	**1,119**

तथापि, ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों का जिला-वार ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(छ) : मामले का निपटान करना न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। तथापि, केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मामले के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और न्यायपालिका द्वारा मामले के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र देने के लिए कई पहलें की हैं:

i. अगस्त, 2011 में, न्याय परिदान करने और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन आरंभ किया गया था। इसके दो उद्देश्य थे: प्रणाली में विलंब कम करके न्याय तक पहुंच बढ़ाना और संरचनात्मक बदलावों और प्रदर्शन मानक और क्षमता निर्धारित करके जबावदेही बढ़ाना।
ii. सभी 25 उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में भी पांच वर्ष से अधिक समय से

लंबित मामलों के निपटारे के लिए बकाया समितियां गठित की गई हैं।

iii. सरकार ने लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में भी संशोधन किया है।

iv. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति को बढ़ावा दिया गया है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में अगस्त, 2018 में संशोधन किया गया, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामलों को संस्थित करने से पूर्व मध्यस्थता और समझौता (पीआईएमएस) करना आवश्यक हो गया है। माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 के माध्यम से संशोधन किया गया है ताकि विहित समयसीमा के भीतर विवादों का शीघ्र निपटारा किया जा सके ।

v. लोक अदालत आम लोगों के लिए एक आवश्यक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है, जहाँ न्यायालय में या पूर्व-मुकदमेबाजी स्तर पर लंबित विवादों/मामलों को आपसी सहमति से निपटाया/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का आदेश माना जाता है और यह सभी पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, ज़िलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पहले से तय तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

vi. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम आरंभ किया था। यह एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस मंच प्रदान करता है, यह उन ज़रूरतमंद और वंचित लोगों को जोड़ता है जो विधिक सलाह और परामर्श चाहते हैं, यह सुविधा ग्राम पंचायतों में विद्यमान सार्वजनिक सेवा केंद्रों (सीएससी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों से मिलती है। देश में निःशुल्क संस्कृति और निःशुल्क अधिवक्ता को संस्थागत बनाया गया है। 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का निःशुल्क पैनल स्थापित किया गया है। नए वकीलों में निःशुल्क संस्कृति डालने के लिए 109 विधि स्कूलों में निःशुल्क क्लब आरंभ किए गए हैं।

****

उपाबंध-1

'लंबित मामलों' के संबंध में, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2362, जिसका उत्तर तारीख 13.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले 3 वर्षों से लंबित मामलों में बढ़ोतरी के साथ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

		31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	लंबित मामलों में वृद्धि (%)
भारत का उच्चतम न्यायालय		82674	82496	92101	**11.40**
क्र.सं.	उच्च न्यायालय				
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	1066757	1139977	1207240	13.17
2	बॉम्बे उच्च न्यायालय	667961	695578	664979	-0.45
3	कलकत्ता उच्च न्यायालय	202840	204924	198868	-1.96
4	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	60463	61674	63867	5.63
5	तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय	231975	230337	233866	0.82
6	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	247854	245675	249016	0.47
7	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	90515	84620	76434	-15.56
8	दिल्ली उच्च न्यायालय	113391	118672	124978	10.22
9	गुजरात उच्च न्यायालय	167258	171211	175486	4.92
10	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	88355	93922	102503	16.01
11	जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय	42925	43280	42964	0.09
12	झारखंड उच्च न्यायालय	85728	74350	72170	-15.82
13	कर्नाटक उच्च न्यायालय	284592	298404	328153	15.31
14	केरल उच्च न्यायालय	255054	251341	250858	-1.65
15	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	448927	467821	471183	4.96
16	मणिपुर उच्च न्यायालय	4663	5282	5792	24.21
17	मेघालय उच्च न्यायालय	1125	1253	1739	54.58
18	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	444114	434480	422112	-4.95
19	राजस्थान उच्च न्यायालय	602269	618831	687595	14.17
20	सिक्किम उच्च न्यायालय	180	207	272	51.11
21	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	1280	1056	1429	11.64
22	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	50393	55616	59658	18.39
23	मद्रास उच्च न्यायालय	574517	559738	546387	-4.90
24	उड़ीसा उच्च न्यायालय	146502	145163	158865	8.44
25	पटना उच्च न्यायालय	197462	202250	219609	11.22
	कुल	**60,77,100**	**62,05,662**	**63,66,023**	**4.75**

स्रोत-राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-2

'लंबित मामलों' के संबंध में, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2362, जिसका उत्तर तारीख 13.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले 3 वर्षों से लंबित मामलों में बढ़ोतरी के साथ, जिला और अधिनस्थ न्यायालों में लंबित मामले

क्र. सं.	राज्य	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	लंबित मामलों में वृद्धि (%)
1	अंदमान और निकोबार	9070	8514	8329	-8.17
2	आंध्र प्रदेश	895282	921948	915398	2.25
3	अरुणाचल प्रदेश	10671	9784	10665	-0.06
4	असम	451138	496819	564945	25.23
5	बिहार	3608014	3660802	3700012	2.55
6	चंडीगढ़	91078	104194	100498	10.34
7	छत्तीसगढ़	418688	420661	452049	7.97
8	दिल्ली	1229806	1452717	1587493	29.08
9	गोवा	63159	60895	61285	-2.97
10	गुजरात	1556371	1503763	1590844	2.21
11	हरियाणा	1524118	1446433	1521463	-0.17
12	हिमाचल प्रदेश	593875	646753	590988	-0.49
13	जम्मू-कश्मीर	310486	311925	345785	11.37
14	झारखंड	560102	547977	564410	0.77
15	कर्नाटक	1987983	2113569	2237391	12.55
16	केरल	1897469	1783932	1788680	-5.73
17	लद्दाख	1244	1407	1583	27.25
18	लक्षद्वीप	492	518	539	9.55
19	मध्य प्रदेश	2055620	2054704	2098396	2.08
20	महाराष्ट्र	5326823	5612876	5926999	11.27
21	मणिपुर	13286	12857	13931	4.85
22	मेघालय	16068	15178	16343	1.71
23	मिजोरम	3983	6298	6875	72.61
24	नगालैंड	3201	3357	3856	20.46
25	ओडिशा	1687827	1741306	1793888	6.28
26	पुडुचेरी	37477	35381	36495	-2.62
27	पंजाब	876134	864524	914711	4.40
28	राजस्थान	2525123	2496501	2542253	0.68
29	सिक्किम	1819	1727	1962	7.86
30	तमिलनाडु	1508744	1520258	1735167	15.01
31	तेलंगाना	920101	947417	976399	6.12
32	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	7314	7750	8346	14.11
33	त्रिपुरा	44490	44085	58295	31.03
34	उत्तर प्रदेश	11444974	11648631	11345328	-0.87
35	उत्तराखंड	350474	350069	300614	-14.23
36	पश्चिमी बंगाल	2996527	3380587	3835113	27.99
	कुल	**4,50,29,031**	**4,62,36,117**	**4,76,57,328**	**5.84**

स्रोत-राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-3

'लंबित मामलों' के संबंध में, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2362, जिसका उत्तर तारीख 13.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

तारीख 11.02.2026 तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्त पदों का ब्यौरा

		कुल स्वीकृत पद संख्या			कुल कार्यरत पद संख्या			कुल रिक्तियां		
क.	उच्चतम न्यायालय	34			33			1		
ख.	उच्च न्यायालय	स्थायी	अपर	कुल	स्थायी	अपर	कुल	स्थायी	अपर	कुल
1	इलाहाबाद	119	41	160	109	0	109	10	41	51
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	26	6	32	2	3	5
3	बंबई	71	23	94	53	27	80	18	-4	14
4	कलकत्ता	54	18	72	32	11	43	22	7	29
5	छत्तीसगढ़	17	5	22	10	5	15	7	0	7
6	दिल्ली	45	15	60	44	0	44	1	15	16
7	गुवाहाटी	22	8	30	18	7	25	4	1	5
8	गुजरात	39	13	52	35	0	35	4	13	17
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	12	0	12	1	4	5
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	19	6	25	14	0	14	5	6	11
11	झारखंड	20	5	25	14	0	14	6	5	11
12	कर्नाटक	47	15	62	42	4	46	5	11	16
13	केरल	35	12	47	28	12	40	7	0	7
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	38	4	42	2	9	11
15	मद्रास	56	19	75	50	3	53	6	16	22
16	मणिपुर	4	1	5	3	0	3	1	1	2
17	मेघालय	4	0	4	4	0	4	0	0	0
18	उड़ीसा	24	9	33	19	0	19	5	9	14
19	पटना	40	13	53	38	0	38	2	13	15
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	45	16	61	19	5	24
21	राजस्थान	38	12	50	33	6	39	5	6	11
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	20	8	28	12	2	14
24	त्रिपुरा	4	1	5	4	0	4	0	1	1
25	उत्तराखंड	9	2	11	8	2	10	1	0	1
	कुल	**847**	**275**	**1122**	**702**	**111**	**813**	**145**	**164**	**309**

उपाबंध-4

'लंबित मामलों' के संबंध में, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2362, जिसका उत्तर तारीख 13.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्त पदों का ब्यौरा

क्रम संख्या	उच्च न्यायालय	कुल		
		कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्तियां
1	इलाहाबाद	3700	2631	1069
2	आंध्र प्रदेश	643	572	71
3	बंबई	2247	1986	261
4	छत्तीसगढ़	663	465	198
5	दिल्ली	897	836	61
6	गुजरात	1720	1185	535
7	गुवाहाटी	646	569	77
8	हिमाचल प्रदेश	188	172	16
9	जम्मू-कश्मीर	322	270	52
10	झारखंड	707	496	211
11	कर्नाटक	1395	1129	266
12	केरल	615	581	34
13	कोलकाता	1105	875	230
14	लद्दाख	17	9	8
15	मध्य प्रदेश	2028	1639	389
16	मद्रास	1424	1260	164
17	मणिपुर	62	49	13
18	मेघालय	99	57	42
19	ओडिशा	1044	861	183
20	पटना	2025	1665	360
21	पंजाब और हरियाणा	1623	1374	249
22	राजस्थान	1699	1490	209
23	सिक्किम	35	23	12
24	तेलंगाना	560	445	115
25	त्रिपुरा	133	119	14
26	उत्तराखंड	298	270	28
कुल		**25,895**	**21,028**	**4,867**

स्रोत- न्याय विकास पोर्टल

****